न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 104 / 2025
जीसीएमएस नं. : 2025 / 175
1. द्रोपती पुत्री मेघाराम निवासी 5 एएस तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

–प्रार्थी

बनाम

1. विकास श्योरान पुत्र ठण्डुराम निवासी 5 एएस तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. विशाल श्योरान पुत्र ठण्डुराम निवासी 5 एएस तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

–अप्रार्थीगण

धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री ओम धायल, अधिवक्ता प्रार्थी
2. राजपैरोकार
3. श्री प्रेम सिंह सैनी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1–2

–:: आदेश ::–

दिनांक : 16/12/2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि –

1. प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 5 एएस ए के खात सं. 27 का प.नं. 187 / 454 मु.नं. 68 में 2.253है. कमाण्ड / अनकमाण्ड व प.नं. 187 / 455 मु.नं. 69 में 0.268है. कमाण्ड कुल 2.631है. कमाण्ड खातेदारी रकबा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। जिसकी प्रार्थीया ही मालिक व काबिज है। मौका स्थिति के अनुसार चक 5 एएस ए खाता सं. 27 प.नं. 187 / 454 मु.नं. 68 कि.नं. 14 / 1 में 0.190है. यानि 15 बिस्वा भूमि दक्षिण दिशा का कब्जा प्रार्थीया के पास है। इस किला का शेष रकबा जो कि 14 / 2 में 0.063है. रकबा अप्रार्थी सं. 1 व 2 के संयुक्त कब्जा में है, जो कि उत्तर दिशा में स्थित है। उक्त रकबा की तरमीम में प्रार्थीया के कब्जा काश्त में कि.नं. 14 / 1 का उत्तर दिशा वाला भाग दर्शाया गया है तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 के कब्जा काश्त में कि.नं. 14 / 2 का दक्षिण दिशा वाला भाग दर्शाया गया है। प्रार्थीया तरमीम में गलत अंकन को सही करवाकर मौका स्थिति एवं कब्जा काश्त के आधार पर सही करवाना चाहती है। कि.नं. 14 / 1 में 0.190है. यानि 15 बिस्वा भूमि के मौका पर कब्जा उत्तर दिशा के स्थान पर दक्षिण दिशा प्रार्थीया के पास होने की दुरूस्ती करने के आदेश भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1–2 जरिए अधिवक्ता [illegible] आए। अप्रार्थी सं. 1–2 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया [illegible] कि ऑनलाईन दर्शाया गया नक्शा बिल्कुल सही है इसलिए तरमीम में किसी [illegible] परिवर्तन की आवश्यक्ता नहीं है। चक 5 एएस ए का प.नं. 187 / [illegible] में कि.नं. 15 / 1, [illegible] 23 / 1 में 0.075है. भूमि रकबा राज है जिसे प्रार्थीया स्मालपेच में आवंटन करवाना चाहती है जिस हेतु स्वयं को उक्त भूमि रकबा राज के संलग्न नजदीकी काश्तकार दर्शाया जाने के लिए ही उक्त तरमीम को गलत होना बताकर इसे सही करने के लिए यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश किया है। जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:35:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

वास्तव में तरमीम सही है किसी प्रकार की कोई गलती तरमीम में नहीं हुई है। 136 एलआरएक्ट में तरमीम दुरूस्ती के प्रावधान नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्रार्थना पत्र के संदर्भ में जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार भू.अ. श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2714 दिनांक 06.08.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस अनुसार मुताबिक केडस्ट्रल मैप व ऑनलाईन भू–नक्शा के कि.नं. 14/1 की तरमीम उत्तर दिशा में तथा 14/2 की तरमीम दक्षिण दिशा में है। मुताबिक पूछताछ व मौका जांच करने पर पाया गया कि कि.नं. 14 के उतरी दिशा में विकास श्योरण, विशाल श्योराण की तथा दक्षिण दिशा में द्रोपति की कब्जा काश्त है। उक्त त्रुटि सेग्रीगेशन के दौरान सहवन से दर्ज हुई है। कि.नं. 14/1 की तरमीम दक्षिण दिशा में तथा कि.नं. 14/2 की तरमीम उतर दिशा में किया जाना उचित होगा।

4. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीया की कब्जा काश्त दक्षिण दिशा में है जबकि ऑनलाईन तरमीम में कब्जा काश्त उत्तर दिशा में दर्शाया गया है। जिसकी दुरूस्ती प्रार्थीया चाहती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि तरमीम वास्तविक कब्जा के अनुसार सही है, प्रार्थीया अपनी तरमीम को दुरूस्त करवाकर पास में पड़ी भूमि को स्माल पेच में आवंटन करवाना चाहती है। प्रार्थीया का कब्जा उत्तर दिशा में तथा अप्रार्थीगण का कब्जा दक्षिण दिशा में है, जिस अनुसार नक्शा में तरमीम दर्शायी गई है जो कि बिल्कुल सही है। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत तरमीम दुरूस्ती नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा कि.नं. 14/1 की भूमि जो कि राजस्व तरमीम में उत्तर दिशा की ओर नक्शा में दर्शायी गयी है को दुरूस्त कर दक्षिण दिशा में दर्शाए जाने हेतु निवेदन किया गया है। जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति जाहिर की गयी है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर एवं रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका एवं नक्शा अनुसार दुरूस्ती की जानी उचित है।

–: आदेश :–

6. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्व भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि चक 5 एएस ए प.नं. 187/454 मु.नं. 68 में प्रार्थीया का रकबा कि.नं. 14/1 एवं अप्रार्थी सं. 1–2 का रकबा कि.नं. 14/2 की वर्तमान तरमीम को दुरूस्त करते हुए प्रार्थीया का रकबा कि.नं. 14/1 को दक्षिण दिशा एवं अप्रार्थी सं. 1–2 का रकबा कि.नं. 14/2 को उत्तर दिशा में अंकित किया जावे/दर्शाया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक.....को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:35:32 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर ★ राजस्थान